न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 314–एक/2011 – विरूद्ध आदेश दिनांक 2–12–2010 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण क्रमांक 110/2009–10 निगरानी

सत्यनारायण पुत्र सीताराम शर्मा
निवासी बजरिया किलागेट रोड
तहसील व जिला भिण्ड, म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर
जिला भिण्ड ---अनावदेक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)

आ दे श

(दिनांक 6 – 4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2009–10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2–12–2010 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है राकेश शर्मा पुत्र रामप्रकाश शर्मा एंव अनिल पुत्र मूलचन्द्र जाटव निवासी भवानीपुरा व्दारा इस आशय की शिकायत कलेक्टर भिण्ड के समक्ष की गई कि रामौतार पुत्र रामनाथ शर्मा निवासी बार्ड नंबर 16 हनुमान बजरिया भिण्ड ने मंदिर की जगह विक्रय कर दी है। शिकायती आवेदन की जॉच कराते हुये अपर कलेक्टर भिण्ड ने प्रतिवेदन दिनांक 29–7–2002 कलेक्टर भिण्ड को प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 1–8–02 से निर्णय लिया कि :–

1. **उप पंजीयक को लिखें कि विवादित भूमि शासकीय होना पाया है अतः उसे विक्रय अंतरण का प्रश्न नहीं ।**
2. **जांच के आधार पर भू/राजस्व अभिलेख शुद्ध करने की कार्यवाही सक्षम अधिकारी करे।**

3. न0अ0 व्दारा त्रृटिपूर्ण NOC रद्ध करने की कार्यवाही ज0अ0 करे।
4. कार्यवाही उपरांत नस्ती रीडर शाखा को वापिस की जावे।

आवेदक सत्यनारायण शर्मा ने कलेक्टर भिण्ड को आवेदन दिनांक 24-8-2002 प्रस्तुत करते हुये बताया कि उसके व्दारा दिनांक 15-1-2001 को खण्डहर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है एंव प्रकरण कलेक्टर आफ स्टाम्प के यहां प्रचलित है तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड ने संपत्ति कर रजिस्टर वर्ष 1983-84 बार्ड क्रमांक 12 के सीरियल क्रमांक 37 पर संपत्ति नं. 86 पर रामौतार पुत्र रामनाथ के नाम अंकित होना बताया है भूमि मंदिर की नहीं है इसलिये आवेदन स्वीकार किया जाकर पूर्वादेश निरस्त किया जाय। इस पर कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण पंजीबद्ध किया तथा जांच कार्यवाही जारी रखी। वाद में प्रकरण सुनवाई हेतु अपर कलेक्टर भिण्ड को अंतरित हुआ। अपर कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 1/09-10 अ-74 पंजीबद्ध किया तथा जॉच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12.8.2010 पारित किया तथा निर्णीत किया कि नजूल जांच प्रकरणों में पुर्नविचार करने की अधिकारिता न होने से आवेदक का आवेदन दिनांक 24-8-2002 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 110/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-12-2010 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के

अवलोकन से परिलक्षित है कि वादग्रस्त संपत्ति नगरपालिका भिण्ड के संपत्ति कर रजिस्टर वर्ष 1983-84 बार्ड क्रमांक 12 के सरल क्र0 37 पर क्रमांक 86 पर दर्ज है जो मौके पर आवेदक के अनुसार खंडहर है किन्तु जॉच प्रतिवेदनों अनुसार निर्मित मकान के रूप में है । मूल विवाद है कि क्या यह संपत्ति मंदिर श्री रामजानकी की माफी / औकाफ विभाग की होकर माफी/औकाफ रजिस्टर में दर्ज है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में उपलब्ध नहीं है अपितु नजूल अधिकारी भिण्ड व्दारा कलेक्टर भिण्ड को प्रस्तुत जॉच प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/नजूल/2003/278 दिनांक 11-12-03 में स्थिति इस प्रकार दर्शायी गई है :-

" कस्वा भिण्ड के 1999 के मिसिल बंदोवस्त में सर्वे नंबर 3726 रकबा 16.375 है. मिल्कियत सरकार आबादी दर्ज है। पंचशाला खसरा संबत 2010 से 2014 में भी 3726 सर्वे नं. रकबा 16.375 है. आवादी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा पंचशाला संबत 2015 से 2055 तक आ.नं. 3726 रकबा 16.375 है. में आबादी दर्ज है। उक्त सम्बन्ध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी भिण्ड के संपत्तिकर रजिस्टर वर्ष 1983-84 बार्ड नं. 12 के सीरियल क्रमांक 37 में संपत्ति कर नं. 86 पर रामौतार पुत्र रामनाथ के नाम अंकित होकर अंदर मंदिर बाहर दो दुकानें अंकित है। इसी प्रकार संपत्ति कर रजिस्टर वर्ष 1989-90 बार्ड क्रमांक 12 के सीरियल क्रमांक 37 के संपत्ति कर नं. 86 पर रामौतार पुत्र रामनाथ शर्मा अंदर मंदिर दो दुकानें किराये पर अंकित हैं। नकल मूल प्रकरण में संलग्न है। "

प्रकरण में जॉच एंव विचार का बिन्दु यह है कि क्या उक्त संपत्ति रामौतार पुत्र रामनाथ शर्मा की निजी संपत्ति है अथवा मंदिर श्री रामजानकी की माफी / औकाफ विभाग की संपत्ति होकर माफी/औकाफ

रजिस्टर में दर्ज है अथवा नहीं ? नजूल अधिकारी भिण्ड के जांच प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/नजूल/2003/278 दिनांक 11.12.03 से वादोक्त संपत्ति संपत्ति कर रजिस्टर वर्ष 1989-90 वार्ड क्रमांक 12 के सीरियल क्रमांक 37 के संपत्ति कर न0 86 पर रामौतार पुत्र रामनाथ शर्मा के नाम पर दर्ज होना प्रमाणित है । इसीसे प्रमाणित है कि वादग्रस्त मंदिर रामजानकी रामनाथ शर्मा का निजी मंदिर होकर उसके नाम के मकान में अवस्थित है एवं माफी/औकाफ विभाग का देवस्थानी मंदिर नहीं होना प्रतीत होता है।

4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2.12.2010 एवं कलेक्टर भिण्ड के द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-74/2009-10 एवं प्रकरण क्रमांक 493/2001 की कार्यवाही व आदेश दिनांक 1.8.2002 एवं आदेश दिनांक 12.8.2010 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी स्वीकार की जाती है ।

एम0के0सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर